169

(b) and (c) Project proposals from 31 such districts are yet to be received. Out of 69 proposals received from such districts so far, 41 have already been approved and are being implemented through the District Project Socities headed by the Collectors. Presently, 30 proposals (including 20 from out of 100 identified districts) are pending for approval. Examination and approval of project proposals received from time to time is a continuous process.

Setting up of Ombudsman for Consumers' Grievances

3436. SHRI ISH DUTT YADAV: SHRI SANYAJ DALMIA:

Will the Minister of CIVIL SUPPLIES CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

- (a) whether Government have any proposal to set-up or to direct State government to set up an Ombudsman in each State to look into the consumers' grievances; and
 - (b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF FOOD AND MINISTER OF CIVIL SUPPLIES

CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI DEVENDRA PRASAD YADAV): (a) No, Sir.

(b) Does not arise. *

बासमती चावल का नियात किया जाना

3437. डा॰ वाई॰ लक्ष्मी प्रसाद: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृषा करेंगे कि:

- (क) गत तीन वर्षों के दौरान खाड़ी देशों को बासमती चावल का कितनी मात्रा में निर्धात किया गया और इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;
- (ख) क्या कुछ गैर-जिम्मेदार निर्यातकों द्वारा घटिया किस्म के बासमती चावल की आपूर्ति किए जाने के संबंध में शिकायते मिली है और इसके परिष्मामस्वरूप निर्यात किया गया चावल लौटा दिया गया है तथा इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और
- (ग) क्या निर्यात की जाने वाली वस्तु गुजकता के मानक पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार ने कोई नीति अथवा तंत्र अथ्वा कोई व्यवस्था बनाई है ताकि पविष्य में ऐसी शिकायतें प्राप्त न हों?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रपैया): (क) पिछले तीन क्वों के दौरान खाड़ी के देशों को निर्यात किए गए बासमती चावल की मात्र और मूल्य निम्नानुसार थे:—

मात्राः मी॰ टन

मस्यः करोड 😽

देश —————	1993-94		1994-95		1 9 95-96(अ)	
	मात्र	मूल्य	भात्रा	मृत्य	मात्रा	मूल्य
बहरीन	7027	15.17	9186	18.68	8401	117,66
कुवैह	30007	73.74	61030	117.07	36032	77.25
ओमान	3325	0.89	409	1.08	348	0.97
यू॰ए॰ई॰	44329	101.55	37364	90.23	34908	75.06
कतार	2422	55.93	2257	5.21	1162	3.01
सउदी अरब	335640	638.58	38276	428.23	182074	370.08

- (ख) घटिया प्रकार के बासमती चावल के निर्यात के बारे में कुछ शिकायतें मिली। फिर भी, गुणवत्ता समस्याओं के कारण खेपों के वापस मेजे जाने के बारे में मंत्रालय के पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।
- (ग) निर्यात खेपों के गुणवत्ता मानदण्डों का निर्णय क्रेता विक्रेता द्वारा आपसी तौर पर किया जाता है। सामान्य रूप से क्रेता भी भेजने से पहले निर्यात खेपों की जांच के लिए सर्वेयर नामित करता है, आगे, कच्चे ही मिल में कटे गए/बिना पालीश किए/भूंसा निकाले हुए/भूरे बासमती चावल (सिर्फ निर्यात के लिए) की गुणवत्ता की परिमाषा और मेड का विशेष विवरण निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत दिनोंक 14.09.1990 के आदेश द्वारा निर्धारत किया गया है और बासमती चावल का निर्यात 01.12.1995 से कृषि और संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), नई दिल्ली के अंतर्गत करारों के पंजीकरण के अधीन हैं। हरियाणा द्वारा राष्ट्रीय पूल में दिया गया खादााश

3438. **श्री रामजीलाल: क्या खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

का अंशदान

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में खाद्मात्र का राज्य-बार कितना उत्पादन हुआ;

- (ख) गत तीन वर्षों के दौरान हरियाणा राज्य द्वारा राष्ट्रीय पूल में वर्ष-वार कितना खाद्यात्र दिया गया;
- (ग) क्या केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय पूल में हरियाणा के योगदान को देखते हुए विद्युत के क्षेत्र में होने वाले बाटे को पूरा करने के लिए हरियाणा सरकार को कोई राजसहायता देगी; और
 - (घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपधोकता प्रापले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (भी देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) और (ख): पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय पूल के लिए गेहूं और चावल के राज्यवार उत्पादन और वसूली को बताने वाले विवरण विवरण-I और 11 के रूप में संलग्न हैं (नीथे देखिए)।

- (ग) जी नहीं,
- (घ) केन्द्रीय सरकार किसानों को न्यूनतम मूल्य समर्थन उपलब्ध करवाने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्य आपूर्ति को उपभोक्ताओं की सामर्थ्य सीमा तक बनाए रखने के लिए भारी सिक्सडी वहन करती है। यह विचार किया गया है कि अलग-अलग राज्यों को उनके केन्द्रीय पूल के लिए अशदान के आधार पर और सिक्सडी प्रदान करना व्यवहार्य नहीं है।

विवरण-I गेहुं का उत्पादन और वसूली (विपणन मौसमः अप्रैल-मार्च)

हजार टन में										
	1993-9	1994-95		1995-96						
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उत्पदन	वसूली	उत्पा दन	वसूली	उत्पदन	वसूली				
	3450	_	4357	नग॰	4274	ন্ যা৽				
<u>गुजरात</u>	1360	नग॰	928	_	1962	1				
हरियाणा	7083	3454	7231	3047	7303	3102				
हिमाचल प्रदेश	594	1	412	नग॰	413	_				
जम्मू और कश्मीर	347	_	352		352	_				
मध्य प्रदेश	5243	242	6667	66	7165	169				
पंजाब	12369	6494	13377	7285	13542	7299				
राजस्थान	5148	496	3460	65	5613	454				
उत्तर प्रदेश	19834	2128	20822	1406	22560	1302				